कार्यालय नगर परिषद, टोंक

शरायत ठेका नगर परिषद सीमा क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग्स प्रदर्शित करने का

यह ठेका नगर परिषद सीमा टोंक के अन्तर्गत होर्डिंग्स विज्ञापन रूप में लगाने का होगा।

1. यह ठेका नगर परिषद सीमा टोंक के अन्तर्गत होर्डिंग्स विज्ञापन रूप में लगाने का होगा। इस अवधि के बाद दोनो पक्षो की
2. इस ठेके की अवधि 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 तक होगी। इस अवधि के बाद दोनो पक्षो की सहमति से यदि परिषद के हित में होगा तो निर्धारित 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर उक्त ठेके की अवधि में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
3. इस ठेके हेतु नीलामी बोली लगाने से पूर्व 50000/– रूपये जमा कराये बिना धरोहर राशि की बोली मान्य नहीं होगी। ठेके के पूर्व बकाया राशि वाले ठेकेदारों को एवं जमानत दारों को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जब तक बकाया राशि जमा नहीं करा दें।
4. ठेका स्वीकृत होने पर स्वीकृत समस्त राशि 24 घंटे मे एक मुश्त परिषद में जमा करानी होगी।
5. पत्रावली मे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ही होर्डिंग्स, अन्य विज्ञापन पट लगाये जा सकेंगें।
6. ठेका स्वीकृत होने पर एक मुश्त जमा कराने के बाद ठेकेदार को नियामानुसार नॉन ज्यूडिशनल स्टाम्प पर इकरार भरकर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही ठेकेदार को परिषद की अनुमति पत्र प्राप्त कर ठेका कार्य आरम्भ करना होगा। यह अनुमति पत्र प्राप्त ठेका कार्य आरम्भ करना होगा। यह अनुमति पत्र हस्तान्तरणीय नहीं होगा।
7. ठेकेदार परिषद के अधिकारियों की अनुमति लेकर ही परिषद द्वारा निश्चित की गई साईड पर विज्ञापन बोर्ड लगा सकेगा।
8. आम चुनाव सभा लोकसभा/विधानसभा व नगर परिषद के दौरान प्रचार–प्रसार होर्डिंग्स बेनर आदि पर परिषद का पूर्ण नियंत्रण होगा। चुनाव के दौरान राशि भी परिषद ही जमा करेगी। ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. प्रत्येक भवन मालिक/संस्थान/प्रतिष्ठान/नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानो तथा राज्य सरकार/कलेक्टर/चुनाव आयोग/परिषद अनुज्ञा पत्र अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी कियें आदेशो/परिपत्र/अधिसूचना/निर्देशों का पालन करेगा।
10. परिषद को अधिकार होगा कि वह ऐसे विज्ञापनों को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित हो या विधि के विपरित हो जिनमें जन शांति भंग होने का अन्देशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या बिना स्वीकृति के लगाये गये हो या विशेषतया विशिष्ट भव्य जन के आगमन पर बाधक समझे जायें तो ऐसे विज्ञापन पट्टो को हटा सकेगी।
11. निलामी मे किये गये विज्ञापन पटटों के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई राशि बकाया रहती है तो यह राशि ठेकेदार से नगर पालिका अधिनियम 2009/भू–राजस्व अधिनियम/पब्लिक डिमाण्ड पीडीआर एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
12. ठेकेदार अपने ठेके को किसी दुसरे को हस्तानांतरित नही कर सकेगा।
13. ठेकेदार परिषद से ठेका की पूर्ण राशि जमा कराने पर एवं अनुबन्ध करने के बाद कार्य आदेश प्राप्ति करने के पश्चात् ही कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। उक्त ठेका मददे यदि परिषद की कोई राशि शेष रहती है तो वह राशि राज0लैण्ड रेवन्यु एक्ट या अन्य प्रावधनों के अन्तर्गत वसूली योग्य होगी।
14. कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जो वाणिज्यिक संस्थान अथवा सरकारी संस्थान की सुन्दरता में बाधक बने।
15. यातायात के नियमों के विपरीत कोई भी विज्ञापन सड़क के मोड़ पर नहीं लगाया जावेगा तथा लगाया गया विज्ञापन यातायात चिन्हों के अंकित रंग व नाम से पृथक होगा।
16. कोई भी विज्ञापन सड़क के आर–पार ना तो लगाया जावेगा ना प्रदर्शित किया जावेगा। ना ही लटकाया जावेगा। जिससे वाहन चालकों की दृष्टि उस पर पड़े।
17. किसी भी राष्ट्रीय स्मारक पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
18. राज्य सरकार/केन्द/न्यायालय/चुनाव आयोग या जिला प्रशासन, सभापति/आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा प्रदत्त आदेश या प्राकृतिक आपदा के कारण से उक्त बोर्ड हटवाये या उतरवाये जाते है तो परिषद द्वारा ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही दी जावेगी।
19. ऐसी सूचनायें या विज्ञापन निःशुल्क होंगें जो नगर परिषद केन्द्र सरकार राज्य सरकार अथवा जनहित में उचित होगा।

20. नगर परिषद टोंक की साधारण सभा दिनांक 08.10.09 के निर्णय अनुसार निम्न पांच स्थानो पर वर्ष 2017–18 के लिए एक एक बोर्ड का स्थान आरक्षित रखा जावेगा। स्थान निम्न है। 1. घण्टाघर सर्किल, 2. पटेल सर्किल, 3. हेमु सर्किल, 4. इन्द्रागांधी सर्किल, 5. सवाई माधोपुर बाईपास

21. सड़क के मुख्य चौराहों मोड़ों पर प्रथम दृष्टया होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी और यदि आवश्यक भी हुआ तो शहर के सौन्दर्य एवं यातायात की दृष्टि से उपयुक्त स्थान के लिये परिषद से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

22. नगर परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेश एवं निर्देश बनाये गये नियमों/उपनियमों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

23. परिषद द्वारा ठेकेदार की जमाशुद्वा समस्त प्रकार की राशि पर ब्याज नही दिया जावेगा।

24. यदि राजकीय हित अथवा नगर परिषद द्वारा उचित समझे जाने पर होर्डिग्स की साईट नगर परिषद के निर्देशानुसार बदलनी होगी, इस पर कोई उज्रदारी मान्य नही होगी ।

25. नगर परिषद राजकीय हित मे कभी भी ठेका समय से पूर्व समाप्त कर सकती है, ठेकेदार को इस हेतु अनुपातिक राशि लौटाई जा सकेगी। इस सम्बंध मे ठेकेदार कोई उज्रदारी नही कर सकेगा।

26. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार आयकर एवं सेवाकर ठेका राशि के अतिरिक्त देय होगा। यथाः निर्देश जमा कराना होगा।

27. बोली लगाने वाले ठेकेदार के विरूद्व पिछली राशि बकाया है तो बोली लगाने से पूर्व समस्त बकाया जमा कराना होगा।

28. उपरोक्त के अलावा अन्य सभी शर्ते राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापनमें पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखानियम के अनुसार लागू होगी।

29. उपरोक्त शर्तों पर इकरार नामा पर अंकित शरायतों के उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा शेष अवधि के लिये कोई अनुपातिक राशि ठेकेदार को नहीं लौटाई जावेगी। पूर्व में जमा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र टोंक होगा। धरोहर राशि ठेके का कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित करने पर अवधि पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी। उपर्युक्त शर्तो में किसी प्रकार छूट देने का अधिकार सभापति/आयुक्त को होगा।

30. महिला अपशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उक्त अधिनियम/नियमो ही पालना नही करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर समस्त प्रकार की राशि जब्त कर ली जावेगा।

31. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की अवहेलना करने खिलाफ वर्जी करने पर ठेकेदार के नाम ठेका निरस्त कर दौबारा निलाम करने का अधिकार नगर परिषद को होगा।

32. ठेके की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये सभापति/आयुक्त को होगा तथा ये निर्णय अंतिम होगा।

33. शरायत संख्या 1 से 30 तक का ठेकेदार द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है तो ठेका निरस्त किया जाकर पुनः निलामी किया जावेगा तथा अमानत राशि व जमा राशि जब्त की जावेगी। परिषद को होने वाली हानि को भी ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

34. उपरोक्त शरायतनामे नगर परिषद हित मे संशोधन करने का अधिकार सभापति नगर परिषद टोंक को होगा। ठेके की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये नगर परिषद सभापति/आयुक्त को होगा एवं यह निर्णय अंतिम होगा।

35. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र टोंक होगा।

सभापति नगर परिषद, टोंक	राजस्व अधिकारी नगर परिषद टोंक	लेखाधिकारी नगर परिषद टोंक	आयुक्त नगर परिषद, टोंक

मैनें उपर्युक्त शर्तें पढ़ ली है जो मुझे स्वीकार है।

D:\2015 DATA\RO\Letter 02 RI.copy doc.doc